MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV. Bhopal, M.P.)

क्रमाँकःमु.ऑ. / 2020–21 / ...72 दिनांकः09 / 12 / 2020

आवश्यक सूचना

विषय – अनुसूचित जनजाति के नवीन विद्यार्थियों हेतु सत्र 2020–21 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति के संबंध में ।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2018 / 6201, दिनॉक 12.03.2019 के अनुसार, संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत सत्र 2020–21 के नवीन अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने आवेदन के अनुमोदन एवं स्वीकृति की प्रकिया विभागीय पोर्टल **MPTAAS** पर प्रारंभ हो चुकी है इसके तहत अनुसूचित जनजाति के नवीन विद्यार्थी अपना प्रोफाईल पंजीयन करने के पश्चात एवं वे विद्यार्थी भी जो पूर्व में **MPTAAS** पोर्टल पर आवेदन कर चुके है । वे **MPTAAS** पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर समस्त प्रमाण–पत्रों सहित आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करे या डाक के माध्यम से संस्था में अपने आवेदन–पत्र भेजने की व्यवस्था करें ।

अतः संबंधित विद्यार्थीगण इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

9.12.2020

(इंजी. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल, म.प्र. ।
2. संभागीय उपायुक्त अ.जा. / ज.जा. कार्य विभाग, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, शारदा विहार, ग्वालियर ।
4. निदेशक कार्यालय ।
5. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर ।
6. प्रशासनिक अधिकारी ।
7. समस्त हॉस्टल वॉर्डन ।
8. बेव मैनेजर –बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. समस्त नोटिस बोर्ड ।
10. संबंधित फाईल ।

माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर–474005

(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV. Bhopal. M.P.)

कमांक / छा. / एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. / 2020 / 71 दिनांक 08 / 12 / 2020 9

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत **सत्र 2020–21** हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, बी.ई., बी. टेक. / बी. आर्क. / एम.सी.ए. / एम.बी.ए. / एम.ई. / एम.टेक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले (Non Gate/Non Sponsored) नवीन / नवीनीकरण प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष में प्रवेशित समस्त छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट **www.scholarshipportal.mp.nic.in** पर ऑनलाइन भरकर प्रिंट आउट की दो प्रतियां आवश्यक, प्रमाण–पत्रों (स्वयं हस्ताक्षरित) सहित आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करें या डाक के माध्यम से भेजने की व्यवस्था करे ।

नोटः–TFW से प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राऐ छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र भरने के पात्र नही है

छात्र / छात्राओं के माता–पिता / अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय के आधार पर संस्था शुल्क एवं छात्रवृत्ति की निम्न प्रकार सुविधा दी जावेगीः। कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग), जिला ग्वालियर के पत्र कमांक : पो.मे.छात्र / 2020 / 1506 / दिनांक :29.08.2020 के अनुसार वार्षिक आय सीमा निम्नानुसार है –

अनुसूचित जाति	शासन से देय सुविधा
छात्र / छात्राऐं पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें एवं आप पात्रतानुसार योजना का लाभ ले सकते हैं छात्रवृत्ति का लाभ विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय, आदि पर निर्भर करेगी ।	छात्रवृत्ति एवं संस्था शुल्क की राशि (फीस) / आधी फीस की सुविधा छात्रवृत्ति नही।
अनुसूचित जनजाति वार्षिक आय सीमा	**शासन से देय सुविधा**
रू. 500000 / –तक	छात्रवृत्ति एवं संस्था शुल्क की राशि (फीस)
रू. 500001 / – से रू. 6,00,000 / – तक	केवल आधी फीस की सुविधा छात्रवृत्ति नही।
रू. 6,00,000 / –वार्षिक आय से अधिक	कोई सुविधा नही।
अन्य पिछड़ा वर्ग वार्षिक आय सीमा	**शासन से देय सुविधा**
रू. 300000 / – तक वार्षिक आय	छात्रवृत्ति एवं संस्था शुल्क की राशि (फीस)
रू. 300000 / – से अधिक होने पर	कोई सुविधा नही।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

1. नवीन सत्र मार्च 2019 तक का आय प्रमाण–पत्र, अगर माता / पिता शासकीय सेवा में हो तो संस्था प्रमुख का आय प्रमाण–पत्र एवं कार्यालय कमांक, दिनांक लिखा होना अनिवार्य है।
2. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र डिजीटल (फोटोप्रति)
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र छात्र 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो स्वयं का (फोटोप्रति) ।
4. पिछले वर्ष की अंकसूचियां (फोटोप्रति)
5. पोर्टल पर, संस्थान में अध्यायनरत समस्त पात्र विध्यार्थीओं को अपने आधार नंबर का सत्यापन कराना आवश्यक है ।
6. काउंसलिंग के समय प्राप्त Admission slip and Fee slip की फोटोप्रति(1st yr. students),Registration slip and fee slip 2020-21 (2nd yr.3rd yr.4th yr. & 5th yr. students) ।
7. स्थानांनतरण प्रमाण पत्र एवं गेफ प्रमाण पत्र फोटोप्रति (1st yr. students only.) ।
8. पोर्टल 2.0 पर ई–केवायसी कर लगाना, आधार कार्ड, आधार धारित बैंक पास बुक एवं समग्र आई डी की फोटोप्रति ।
9. छात्रावास में निवासरत हो तो Fee slip / छात्रावास अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
10. छात्र का परीक्षा में बैढने का प्रमाण पत्र Examination Admit card (रावा / एडमिट कार्ड / जो भी सूची हो)सलग्न करे
11. हितग्राही प्रोफाईल पंजीयन ।

8-12-2020

(डॉ. आर.के. पण्डित)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. सहा.आयुक्त आदिवासी विकास कल्याण विभाग, ग्वालियर।
2. सहायक संचालक, अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यालय ,गोरखी ग्वालियर ।
3. प्राचार्य, डां भीम राव अम्बेडकर कालेज, ग्वालियर (म.प्र.) ।
4. निदेशक कार्यालय ।
5. प्रशासनिक अधिकारी ।
6. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ ।
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक, की ओर सूचनार्थ ।
8. लेखा कक्ष की ओर सूचनार्थ ।
9. प्रवेश लिपिक की ओर सूचनार्थ ।
10. मुख्य लिपिक की ओर सूचनार्थ ।
11. वैव मैनेजर–पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
12. समस्त सूचना पटल।
13. संबंधित फाइल एवं आई. एम. एस.।

Sd/-

(डॉ. आर.के. पण्डित)
निदेशक

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV. Bhopal. M.P.)

क्रमाँकः मु.ऑ. / 2020 / 70

दिनांकः 07.12.2020

आवश्यक सूचना

संस्था में नियमित अध्ययनरत अ.जा. / ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्रायें जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में पात्रता रखते है, कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के पत्र कमांक छात्रवृत्ति / ज.जा.का.वि. / 2018–19 / 5750, दिनॉक :13.02.2019 के अनुसार सत्र 2020–21 के लिये भी समस्त छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर नवीन नियमों के अनुसार आधार नंबर का ई–केवायसी कराना अनिवार्य है । अतः जिन छात्र / छात्राओं ने छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर ई–केवायसी नहीं कराया है, वे छात्र / छात्रायें छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर ई–केवायसी कराना सुनिश्चित करें ।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान सत्र 2020–21 में भी छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के नवीन छात्र / छात्राओं के आवेदन पत्र पोर्टल 2.0 पर हितग्राही प्रोफाईल पंजीयन (एससी / एसटी छात्र / छात्राओं) के उपरांत ही भरे जावेगे ।

अतः छात्र / छात्रायें उपरोक्तानुसार हितग्राही प्रोफाईल पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करे, जिससे छात्रों को समय सीमा में शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके । जो छात्र / छात्रा अपना पंजीयन नहीं करायेगे वह उक्त योजना से वंचित रहेगे । जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्र / छात्रा का होगा ।

7.12.2020

(इंजी. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि –

1. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, शारदा विहार, ग्वालियर ।
2. सहायक संचालक, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गौरखी ,जिला ग्वालियर (म.प्र.) ।
3. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर पोलिटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर ।
4. निदेशक कार्यालय ।
5. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ ।
6. प्रशासनिक अधिकारी ।
7. समस्त हॉस्टल वॉर्डन की ओर सूचनार्थ ।
8. वेब मैनेजर – वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
9. समस्त नोटिस बोर्ड ।
10. संबंधित फाईल ।